राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

जयपुर के

समक्ष

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का एक उपक्रम)

द्वारा

विव 2016–17 के लिए सत्यापन

दायर याचिका

टिप्पणियां :

इस आवेदन में :

- वर्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 (विव 17 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित
- इस आवेदन में उपयोग में आये सभी मौद्रिक आंकड़े, जब तक कि विशिष्टतः अन्यथा उल्लिखित न हो, करोड़ रू. में है।
- इस आवेदन में उपयोग में आयी सभी ऊर्जा इकाइयां, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, मिलियन इकाइयों में है।

संक्षेपणों की सूची

आवेदन	विव 2016–17 के लिए सत्यापन याचिका
जयपुरडिस्कॉम, जविविनिलि	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
वाराआ	वार्षिक राजस्व आवश्यकता
सेकलाउयो	सेवा कनेक्शन एवं लाईनों के लिए उपभोक्ताओं का योगदान
सीपीपी	केप्टी पॉवर प्लांट
कउ	कटे हुए उपभोक्ता
घसे	घरेलू सेवा
अउआ	अतिरक्त उच्च आतति
विअ 2003	विद्युत अधिनियम, 2003
विव	वित्तीय वर्ष
विव 17	वित्तीय वर्ष 2016–17
सस्थाप	सकल स्थाई परिसम्पत्तियां
भास	भारत सरकार
रास	राजस्थान सरकार
उआ	उच्च आतति
किवोए	किलो वोल्ट एम्पीयर
किवा	किलोवाट
किवाध	किलोवॉट घण्टा या इकाई
निआ	निम्न आतति
मऔश	मध्यम औद्योगिक शक्ति
मि.यू.	मिलियन यूनिट
अघसे	अघरेलू सेवा
नि.स्था.परि.	निवल स्थाई परिसम्पत्तियां
भानाविनिलि	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.
राजविनि	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम

उक्षेभाप्रेके	उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
राताविनि	राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम
भाग्रिविनिलि	भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड
साजदा	सार्वजनिक जलदाय
राविविआ/आयोग	राजस्थान राज्य विनियामक आयोग
राविप्रनिलि	राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
राविउनिलि	राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
ग्राविनि	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
रू.	भारतीय रूपये
राराविम/म.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
लऔश	लधु औद्योगिक शक्ति
राभाप्रेके	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
गै–अवि	गैर– अनुसूचित विनिमय
याचिकाकर्ता/यूटिलीटि	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़

विषय वस्तु की सारणी

अ 1:	विव 2016–17 के लिए ट्रयूअप		
		प्रस्तावना	
		विव 2016–17 के लिए ट्रयूअप	
		ऊर्जा विक्रय	
		वितरण हानियां	
		ऊर्जा संतुलन	
		विव 2016–17 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता	
		विद्युत क्रय लागत	
		परिचालन एवं संधारण व्यय	
		कर्मचारी व्यय	
		प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय	
		बीमा	
		मरम्मत एवं संधारण व्यय	
		व्ययों का पूंजीकरण	
		ब्याज तथा वित्त प्रभार	
		ह्रास	
		अन्य डेबिट, उपभोक्ताओं की दी गयी छूट तथा पूर्वावधि	
		विव 2016–17 के लिए सराआ का सारांश	
		राजस्व	
		राजस्व का सारांश	
		गैर–टैरिफ आय	
		अन्य आय	
		विव 2016–17 के लिए राजस्व घाटा	
		विव 2016–17 के लिए विचलन विश्लेषण	
अ 2:		प्रार्थना	

सारणियों की सूची

सारणी–1	विव 2016–17 के लिए वाराआ का सारांश (करोड़ रू.)	
सारणी–2	विव 2016–17 के लिए वास्तविक तथा अनुमोदित विक्रय की तुलना	
सारणी–3	वितरण हानियां (प्रतिशत)	
सारणी–4	विव 2016–17 के ऊर्जा संतुलन	
सारणी–5	विव 2016–17 के लिए विद्युत क्रय लागत की विस्तृतियां (करोड़ रू.)	
सारणी–6	विव 2016–17 के लिए कर्मचारी, म.एवं.सं. तथा प्र.एवं.सा. लागत (करोड़ रू.)	
सारणी–7	कर्मचारी व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–8	प्र.एवं.सा. व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–9	प्रशासकीय एंव सामान्य व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–10	बीमा व्यय	
सारणी–11	म.एवं.सं. व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–12	मरम्मत एवं संधारण व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–13	ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रू.)	
सारणी–14	विव 2016–17 के लिए ह्रास (करोड़ रू.)	
सारणी–15	विव 2016–17 के दौरान अन्य डेबिट तथा पूर्वावधि व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–16	विव 2016–17 के लिए वाराआ (करोड़ रू.)	
सारणी–17	गैर– टैरिफ आय (करोड़ रू.)	
सारणी–18	विव 2016–17 के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक राजस्व	
सारणी–19	विव 2016–17 के लिए अनुमोदित तथा संशोधित वास्तविक राजस्वधाटा (करोड़ रू.)	
सारणी–20	विचलन विश्लेषण (करोड़ रू.)	

अ 1. विव 2016–17 के लिए ट्रयू–अप

प्रस्तावना

1.1 याचिकाकर्ता 'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़' (इसके आगे 'याचिकाकर्ता' के रूप में निर्दिष्ट) राजस्थान सरकार (रास) द्वारा राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अन्तरण योजना 2000 के अन्तर्गत यथाधिसूचित क्षेत्रों में विद्युत के व्हींलिग तथा फुटकर आपूर्ति के लिए एक वितरण याचिकाकर्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (याचिकाकर्ता) के रूप में नियुक्त है। तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से याचिकाकर्ता जविविनिलि जयपुर नगर वृत, जयपुर जिला वृत, अलवर, भरतपुर, धोलपुर, दौसा, करौली, झालावाड, बारा, कोटा, बुंदी, सवाईमाधोपुर एवम् टोंक के क्षेत्र के रूप में कार्यरत है।

1.2 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (इसके आगे 'आयोग' के रूप में निर्दिष्ट), विद्युत विनियामक आयोग (विविआ) अधिनियम, 1998, जिसका विद्युत अधिनियम (विअ) 2003 द्वारा अधिक्रमण कर दिया गया था, के अन्तर्गत गठित एक स्वतन्त्र सांविधिक निकाय है। आयोग का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अन्तर्गत हुआ है। आयोग में, राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ विनिर्धारण सहित विद्युत क्षेत्र को नियन्त्रित करने के प्राधिकार निहित हैं।

1.3 माननीय आयोग ने 24 फरवरी 2014 को ''टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें विनियम, 2014'' जारी किये थे। ये विनियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिए विस्तारित हुये तथा विनियमों के अन्तर्गत आवृत सभी प्रकरणों में टैरिफ के विनिर्धारण हेतु विव 2014–15 से विव 2018–19 तक प्रयोज्य रहे। इसलिए जविविनिलि माननीय आयोग से निवेदन करता है कि उक्त राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार आयोग विव 2016–17 की ट्रयू–अप की याचिका पर विचार किये जाने के लिए सशक्त है।

1.4 बाद में माननीय आयोग ने राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के अन्तर्गत विव 2016–17 के लिए 2 नवम्बर 2017 को टैरिफ आदेश अधिसूचित किया।

1.5 राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के विनियम 8 (3) के अनुसार ट्रयू–अप में, आवेदक का पिछले वर्ष के अंकेक्षित निष्पादन के साथ माननीय आयोग के अवलोकन व विवेकी

जांच हेतु तुलना समाहित होगी। याचिकाकर्ता विव 2016–17 के लिए ट्रयू–अप प्रस्तुत करना चाहेगा।

1.6 याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्राक्कलित तथा तद्नुरूप आयोग द्वारा अनुज्ञात की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता, आदेश जारी करते समय विव 2016–17 के प्राक्कलित विक्रयों तथा प्राक्कलित व्ययों पर आधारित थी। तथापि, क्योंकि अंकेक्षित वास्तविक आंकड़े डिस्कॉम के पास उपलब्ध हैं, याचिकाकर्ता विव 2016–17 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार ट्रयूअप की याचिका माननीय आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा है।

1.7 माननीय आयोग के विचारार्थ विव 2016–17 के अंकेक्षित लेखों की एक प्रतिलिपि भी इस याचिका के **अनुलग्नक–1** के रूप में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, इस ट्रयूअप याचिका में याचिकाकर्ता ने विव 2016–17 के दौरान याचिकाकर्ता ने उपगत वास्तविक लागत दर्शाने के लिए अंकेक्षित लेखों को स्त्रोत के रूप में लिया है।

विव 2016–17 के लिए ट्रयूइंग–अप

1.8 माननीय आयोग ने दिनांक 2 नवम्बर 2017 के अपने आदेश में याचिकाकर्ता की विव 2016–17 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता, 1226.53 करोड़ रू. के सदृश राजस्व अन्तर के साथ 15241.08 करोड़ रू. प्राक्कलित की। याचिकाकर्ता ने विव 2016–17 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार नीचे सारणी में दर्शित अन्तर प्रस्तुत किया है। वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अवयवों को याचिका के बाद वाले भाग में विस्तृत किया गया है।

सारणी 1: विव 2016–17 के लिए वाराआ का सारांश (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	प्राक्कलित (अ)	अनुमोदित (ब)	वास्तविक (स)	विचलन द=ब–स
1. राजस्व				
विद्युत का विक्रय	12,812.00	12,664.00	12,942.86	(278.86)
ट्रेडिंग के माध्यम से विद्युत का विक्रय	516.00	843.00	31.89	811.11
कुल राजस्व (अ)	**13,328.00**	**13,507.00**	**12,974.75**	**532.25**
2. व्यय				
विद्युत क्रय लागत	10,651.00	9,990.00	10,394.67	(404.67)

प्रसारण व्यय	1,473.00	1,507.00	1,434.32	72.68
परिचालन एवं संधारण व्यय (बीमा एवं उपभोक्ता शिक्षा व्यय के साथ)	820.00	814.00	761.93	52.07
सेवांत लाभ	700.00	700.00	456.34	243.66
ब्याज तथ वित्त प्रभार (केयरिंग राशि के साथ)	2,433.00	1,954.00	869.92	1,084.08
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	137.00	112.00	757.73	(645.73)
ह्रास	773.00	622.00	758.03	(136.03)
अन्य व्यय (पूर्वावधि व्यय)			(356.41)	356.41
कुल व्यय (सराआ)	**16,987.00**	**15,700.08**	**15,076.53**	**662.55**
घटायें – गैर टैरिफ आय/अन्य आय	317.00	317.00	723.89	(406.89)
घटाये – व्हीलिंग से आय एंव क्रास सब्सिडी सरचार्ज	142.00	142.00	231.94	(89.94)
समग्र राजस्व आवश्यकता (सराआ) (ब)	**16,528.00**	**15,241.08**	**14,120.70**	**1,120.38**
गेप/(अधिशेष) (ब–अ) (स)	**3,200.00**	**1,734.53**	**1,145.95**	**588.58**
राजस्व सहायिकी/वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान				
विश्व बैंक ऋण पर अन्तरीय ब्याज संसहायिकी	-	-	-	-
विद्युत शुल्क के प्रति राज्य सरकार से संसहायिकी	583.00	583.00	530.20	52.80
राज्य सरकार से नकद सहायता	-	-	-	-
अन्य संसहायिकी	-	-	-	-
उपयोग – द	**583.00**	**583.00**	**530.20**	**52.80**
निवल राजस्व अंतर (स–द)	**2,617.00**	**1,151.53**	**615.76**	**535.78**
जोडें – राविउनिलि को पिछले वर्षों **(2013 –14, 2014–15, 2015 –16)** के आधार पर **दी** जाने वाली लागत		74.50	-	74.50
जोडें – उपभोक्ता शिक्षा		0.50	**प्र** एवं **सा** व्यय में शामिल	
निवल राजस्व अंतर	**2,617.00***	**1,226.53**	**615.76**	**610.78**

1.09 उपरोक्त सारणी में यथादर्शित विव 2016–17 के लिए वास्तविक राजस्व आवश्यकता, अनुमोदित 15,241 करोड़ रू. के प्रति 14,120.70 करोड़ रू. रही है।

1.10 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि वाराआ में विचलन के विस्तृत कारण निम्नलिखित व्याख्यात्मक टिप्पणों में दिये गये हैं, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि विव 2016–17 में वितरण हानियां व विद्युत क्रय लागत, अनुमोदित से उच्चतर होने के बावजूद विव 2016–17 की वाराआ माननीय आयोग के आदेश दि. 2.11.17 से कम है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि विव 2016–17 में राजस्व अंतर माननीय आयोग के आदेश दि. 2.11.17 से कम है।

1.11 माननीय आयोग ने आदेश दि. 2.11.17 द्वारा वास्तविक विद्युत क्रय लागत 4.33रू. /इकाई (प्रसारण व्यय शामिल) की तुलना में 4.12 रू./इकाई (प्रसारण व पूर्वावधि व्यय शामिल) अनुमोदित की है। यह विद्युत याचिकाकर्ता द्वारा अधिप्राप्त कुल विद्युत के 44 प्रतिशत, से अधिक का कारक है। इसी प्रकार, भानाविनिलि तथा रातावि‍नि से विद्युत का क्रय जविविनिलि के लिए महत्वपूर्ण कारण रहा है, क्योंकि इनकी प्रति इकाई दर माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित से उच्चतर है। उपरोक्त आंकड़ों व तथ्यों के मद्देनजर जविविनिलि, माननीय आयोग से अंकेक्षित लेखों पर आधारित वाराआ पर एक विवेकपूर्ण विचार करने का निवेदन करता है।

1.12 इसके अलावा विद्युत का अधिकांश हिस्सा राविउनि से 4.49 रू./इकाई पर आहृत किया जाता है, जो माननीय आयोग के आदेश 2 नवम्बर 2017 द्वारा अनुमोदित 3.79 रू./इकाई से उच्चतर है। यह विद्युत याचिकाकर्ता द्वारा अधिप्राप्त कुल विद्युत के ~44 प्रतिशत, से अधिक का कारक है। इसी प्रकार राजविनि, अरावली, अडानी, सासन, नेवेली, कोस्टल गुजरात, करचम वांगटू तथा अक्षय सोतो से विद्युत का क्रय जविविनिलि के लिए महत्वपूर्ण कारण रहा है, क्योंकि इनकी प्रति इकाई दर माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित से उच्चतर है।

1.13 उपरोक्त आंकड़ों व तथ्यों के मद्देनजर जविविनिलि, माननीय आयोग से अंकेक्षित लेखों पर आधारित वाराआ पर एक विवेकपूर्ण विचार करने का निवेदन करता है।

ऊर्जा विक्रय

1.14 याचिकाकर्ता निवेदन करना चाहेगा कि विक्रय, उपभोक्ताओं के उपभोग पैटर्न, मौसम

की स्थितियों में परिवर्तन तथा भूमि की विधियों पर निर्भर करता है। उपरोक्त घटक याचिकाकर्ता के नियन्त्रण से परे हैं, जिसके कारण उपभोग तथा इसके उपभोक्ताओं को विक्रय पर याचिकाकर्ता का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।

1.15 नीचे दी गई सारणी विव 2016–17 के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक विक्रय तथा विद्युत के विक्रय से राजस्व की तुलना दर्शाती है :

सारणी 2: विव 2016–17 के लिए वास्तविक तथा अनुमोदित विक्रय की तुलना

उपभोक्ता श्रेणी	राजस्व (करोड़ रू.)		विक्रय (एमयू)		औसत विपत्रण दर (रू./इकाई)	
	अनुमोदित	वास्तविक	अनुमोदित	वास्तविक	अनुमोदित	वास्तविक
घरेलू सेवा	3,178	2,908.58	4,803	4,557.69	6.62	6.38
अघरेलू सेवा	1,935	1,788.60	2,130	2,027.01	9.08	8.82
सार्वजनिक पथ प्रकाश	134	127.73	188	173.34	7.13	7.37
कृषि मीटरिंत आपूर्ति	2,773	2,940.85	5,664	5,657.36	4.90	5.20
कृषि फ्लेट दर आपूर्ति	192	244.55	358	467.70	5.36	5.23
लधु औधोगिक सेवा	218	216.03	315	307.31	6.92	7.03
मध्यम औधोगिक सेवा	553	543.27	727	702.35	7.61	7.74
वृहद औधोगिक सेवा	2,972	3,106.45	3,929	3,854.97	7.56	8.06
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – लधु	153	156.96	241	240.09	6.35	6.54
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – मध्यम	30	28.01	41	39.66	7.32	7.06
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – वृहद	219	205.99	304	278.72	7.20	7.39
मिश्रित भार आपूर्ति	152	136.98	209	193.22	7.27	7.09
	157	174.55	226	215.61	6.95	8.10
		445.84		767.12		5.81
विद्युत विक्रय से कुल राजस्व	**12,666.00**	**13,024.40**	**19,135**	**19,482.14**	**6.62**	**6.69**

1.16 वास्तविक राजस्व में स्थाई प्रभार तथा विद्युत प्रभार शामिल हैं।

1.17 यहां यह उल्लेखनीय होगा कि माननीय आयोग द्वारा ध्यान में रखी गयी औसत विपत्रण दर भी वास्तविक विपत्रण दर से भिन्न है। अनुमोदन में माननीय आयोग द्वारा ध्यान में रखी गयी औसत विपत्रण दर अधिकांश श्रेणियों में वास्तविक विपत्रण दर से से उच्चतर है। ऐसा इस कारण से है क्योंकि माननीय आयोग द्वारा राजस्व का अनुमान श्रेणीवार एबीआर स्लेब के आधार पर आंकलन किया है, जोकि वास्तविक से काफी अलग हो सकता है। याचिकाकर्ता ने श्रेणीवार बिक्री और राजस्व का वास्तविक विवरण लिया है। इसके अतिरिक्त कोई भी उपभोक्ता सालभर एक ही स्लेब में नहीं रहता है। इसके अलावा अनुमानों के लिए माननीय आयोग ने वर्ष के अंत में उपभोक्ताओं की संख्या एवं संबद्ध भार का प्रयोग किया है, हालांकि वर्ष के दौरान दोनों में परिवर्तन होता है।

1.18 विक्रय तथा राजस्व में परिवर्तन, याचिकाकर्ता के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए यह निवेदन है कि विक्रय को अंकेक्षित लेखों के अनुसार माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये।

वितरण हानियां

1.19 आयोग ने अपने टैरिफ आदेश में वितरण हानियां 22 प्रतिशत अनुमोदित की है। याचिकाकर्ता ने वितरण हानि का स्तर विव 2016–17 के लिए 25.48 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है।

सारणी 3: वितरण हानियां (प्रतिशत)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक	विचलन
वितरण हानियां	22.00%	25.48%	-3.48 %

1.20 डिस्कॉम हानि में कमी के लिए वचनबद्ध है और इसलिए उपर वर्णित हर गतिविधि के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए है। इन गतिविधियों को उच्चतम स्तर पर पहचाना जाता है और ये डिस्कॉम, केन्द्रीय मंत्रालय और राजस्थान सरकार के मध्य उदय योजना के तहत हस्ताक्षर किए गए लेंडमार्क त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का भाग है।

1.21 हालांकि, परिकल्पित परिचालन क्षमता को प्राप्त करने और सुधार लाने के लिए विभिन्न

कदम उठाए गए है। इन कदमों में उच्च एटीएंडसी घाटे वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सीमित करना, कार्य की निगरानी और प्रबंधन प्रणाली, सौ प्रतिशत फीडर और डीटी मीटरिंग, उच्च मूल्य वाले उपभोक्ताओं के एएमआर मीटरिंग, ऊर्जा ऑडिट और फीडर स्तर पर लेखांकन, फीडर पृथक्कीकरण इत्यादि है। हानि घटाने के लिए खंड/वृत/जोनल स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किए गए है और संबंधित अधिकारियों को हानि में कमी के लिए जिम्मेवार बनाया गया है। इसके साथ ही नाम और शर्म अभियान और आक्रमक सतर्कता जांच अभियान चलाकर चोरी को तथा अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को कम करने के प्रयास किए जा रहे है। इसके अलावा, आयोग द्वारा निर्धारित हानि के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूंजी निवेश योजनाएं भी चल रही है।

1.22 डिस्कॉम हानि में कमी के लिए वचनबद्ध है और इसलिए उपर वर्णित हर गतिविधि के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए है। इन गतिविधियों को उच्चतम स्तर पर पहचाना जाता है और ये डिस्कॉम, केन्द्रीय मंत्रालय और राजस्थान सरकार के मध्य उदय योजना के तहत हस्ताक्षर किए गए लेंडमार्क त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का भाग है।

1.23 याचिकाकर्ता का विस्तृत वितरण क्षेत्र होने और अधिक संख्या में कृषि कनेक्शनस होने के कारण उठाये गये उपायों के लाभ मिलने में समय लगेगा। आयोग द्वारा निर्धारित वितरण हानियों के आधार पर खर्चों को अनुमोदित नहीं करने पर याचिकाकर्ता के 2018–19 तक क्रियात्मक और वित्तीय सुधार लाने के प्रयासों को झटका लगेगा, जिसका कि उपभोक्ताओं पर बड़ी संख्या में प्रभाव पड़ेगा।

1.24 यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि यद्यपि उदय योजना के अन्तर्गत, निगम वर्ष 2016–17 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ, लेकिन निगम ने इसमें सुधार दिखाया है और 2018–19 तक वितरण हानियों को 15 प्रतिशत तक लाने के लिये प्रतिबद्ध है। उदय योजना में भी यह अनुमान लगाया गया था कि निगम वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर सकता है, इसलिये उदय योजना ने लक्ष्यों को अगले वर्ष पूरा करने की यह सुविधा उपलब्ध कराई। इसलिये

याचिकाकर्ता माननीय आयोग से निवेदन करता है कि वर्ष 2016–17 की ट्रू–अप को अनुमोदित करते समय वास्तविक वितरण हानियों को विचारार्थ रखे।

ऊर्जा संतुलन

1.25 आयोग ने विव 2016–17 के लिए भिन्न– भिन्न स्त्रोतों से कुल ऊर्जा आवश्यकता 25820 मिलियन इकाइयां प्राक्किलित की हैं। याचिकाकर्ता द्वारा विव 2016–17 के लिए क्रय की गयी वास्तविक ऊर्जा 27219.71 मि. यूनिट थी। नीचे सारणी याचिकाकर्ता के लिए विव 2016–17 के दौरान अनुमोदित तथा वास्तविक विद्युत क्रय आवश्यकता की विस्तृतियां दर्शाती है।

सारणी 4: विव 2016–17 के लिए ऊर्जा संतुलन

विशिष्टियां	विव 2016–17 के लिए अनुमोदित	विव 2016–17 के लिए वास्तविक
ऊर्जा विक्रय (मि.यू.)	19,134	19,482.14
वितरण हानि (प्रतिशत)	22%	25.48%
वितरण हानि (मि.यू.)	5,397	6,661.74
वितरण परिधि पर आवश्यकता (मि.यू.)	**24,531**	**26,143.88**
राज्यान्तरिक प्रसारण हानियां (प्रतिशत)	4.99%	3.95%
राज्यान्तरिक प्रसारण हानियां (मि.यू.)	1,289	1,075.83
प्रसारण कं. परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.)	**25,820**	**27,219.71**
प्रसारण कं. परिधि पर ऊर्जा उपलब्धता	**27927**	**27333.69**
ऊर्जा आधिक्य	**2107**	**114**

विव 2016–17 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता

विद्युत क्रय लागत

1.26 दिनांक 2 नवम्बर 2017 के आदेश में माननीय आयोग ने विव 2016–17 के लिए विद्युत क्रय लागत 9991 (प्रसारण व्यय शामिल नही) करोड़ रू. प्रक्षेपित की थी। तथापि, अंकेक्षित लेखों के आधार पर वास्तविक विद्युत क्रय लागत 10476.05 (प्रसारण व्यय

शामिल नही) करोड़ रू. है।

1.27 नीचे सारणी, याचिकाकर्ता की अनुमोदित तथा वास्तविक विद्युत क्रय लागत का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाती है :

सारणी 5: विव 2016–17 के लिए विद्युत क्रय लागत की विस्तृतियां (करोड़ रू. में)

स्त्रोत	अनुमोदित			वास्तविक		
	प्रेषित ऊर्जा	कुल लागत		प्रेषित ऊर्जा	कुल लागत	
	एमयू	करोड़ रू.	(रू./किवाध)	एमयू	करोड़ रू.	(रू./किवाध)
रातावििन	2357.00	713.00	3.03	2357.14	712.42	3.02
राजविनि	679.00	246.00	3.62	679.22	247.16	3.64
भानाविनिलि	1116.00	331.00	2.97	1116.33	331.13	2.97
राविउनि	11929.00	4523.00	3.79	11929.14	5358.03	4.49
हिस्सेदारी परियोजनायें	1166.00	41.00	0.35	1166.07	41.35	0.35
(अरावली + अडानी + सासन+ नेवेली + कोस्टल गुजरात + करचम वांगटू)	5871.00	1863.00	3.17	5869.51	1965.84	3.35
एसजेवीएनएल और रामपुर	285.00	89.00	3.12	284.64	88.85	3.12
एनवीवीएन समूहित	962.00	430.00	4.47	962.23	429.74	4.47
नये संयत्र	260.00	107.00	4.12	259.54	106.47	4.10
तेहरी +कोटेस्वर + ताला	160.00	71.00	4.44	159.92	70.63	4.42
आर एफ एफ	122.00	49.00	4.02	122.00	48.68	3.99
अक्षय	3020.00	1528.00	5.06	2347.90	1237.34	5.27
यू आई				832.17	183.10	2.20
बैंकिग				37.72	37.73	10.00
अन्तर्डिस्कॉम क्रय				-1008.54	-443.92	4.40
ट्रेडिंग				218.72	61.50	2.83
द्विपक्षीय				0.00	0.00	

कुल योग	**27,927.00**	**9,991.00**	3.58	**27,333.69**	**10476.05**	3.84
भाविग्रिनिलि		548.00			*623.83*	
राविप्रनिलि		954.00			*816.22*	
राभाप्रेके शुल्क		5.00			*(5.73)*	
पूर्व अवधि		0.00			***(81.38)***	
सकल विद्युत क्रय लागत (प्रसारण व्यय शामिल)	**27,927.00**	**11,498.00**	4.12	**27,333.69**	**11,829.00**	4.33

1.28 यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि विव 2016–17 के दौरान विद्युत क्रय दर माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित 4.12 रू. प्रति इकाई के प्रति 4.33 रू./इकाई उपगत की गई है। विद्युत क्रय दर में ऐसा महत्वपूर्ण अन्तर राविउनि, अक्षय सोतो तथा दूसरे सोतो जैसे राजविनि, अरावली, अडानी, सासन, नेवेली, कोस्टल गुजरात, करचम वांगटू की अद्यिक विद्युत क्रय दर है।

1.29 विव 2016–17 में उपभोक्ताओं द्वारा ओपन एक्सेस चुनने के कारण बिजली की भारी मात्रा का समर्पण किया गया। हालांकि यहां तक कि समर्पण की गई बिजली के लिए याचिकाकर्ता को बिना कोई बिजली लिए भी स्थाई शुल्क को वहन करना पडता है जोकि प्रति यूनिट बिजली की खरीद दर को बढाता है।

1.30 माननीय आयोग ने विव 2016–17 की एआरआर अनुमोदित करते समय यह माना कि अतिरिक्त बिजली तापीय उत्पादन केन्द्रों की परिवर्तनीय लागत + कुछ मार्जिन से अधिक दर से बेची जानी चाहिए और तदनुसार अतिरिक्त बिजली की औसत विक्रय दर 4.00 प्रति यूनिट अनुमोदित की है। याचिकाकर्ता यह निवेदन करती है कि बिजली की विक्रय और खरीद एक गतिशील प्रक्रिया है। एक्सचेंज में बाजार समाशोधन कीमत खरीदार एवं अन्य विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियों और संपूर्ण बाजार में बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता का इन घटकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। विव 2016–17 में याचिकाकर्ता इस तरह की अतिरिक्त बिजली को केवल 2.80 प्रति यूनिट की दर बेचने में सफल रहा। उपरोक्त घटकों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता यह निवेदन करती है कि बिजली खरीद

लागत को कम किया जावे/व्यापारिक गतिविधियों से प्राप्त राजस्व को अतिरिक्त बिजली के बेचान से उत्पन्न वास्तविक राजस्व की हद तक लिया जाना चाहिए।

1.31 अतीत में माननीय आयोग ने बैंकिग को एक लागत तटस्थ व्यवस्था माना है और उसी के अनुसार बैंकिग की लागत को अस्वीकार कर दिया। हालांकि बैंकिग के लिए कई तरह की लागत शामिल होती है जैसे व्यापार मार्जिन इत्यादि। याचिकाकर्ता विव 2016–17 की सत्यापन याचिका में माननीय आयोग से उपरोक्त को अनुमोदित करने का निवेदन करती है।

1.32 इस प्रकार, याचिकाकर्ता माननीय आयोग से याचिकाकर्ता द्वारा विव 2016–17 वास्तविक विद्युत क्रय लागत को अंकेक्षित लेखों के आधार पर अनुमोदित करने का निवेदन करता है।

परिचालन एवं संधारण व्यय

1.33 परिचालन एवं संधारण व्यय में कर्मचारी लागत, प्रशासकीय व सामान्य व्यय तथा मरम्मत तथा संधारण व्यय शामिल हैं। राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 24 के सन्दर्भ में प.एवं.सं. व्यय प्रासमिक आधार पर माने जायेंगे।

1.34 माननीय आयोग ने दिनांक 2 नवम्बर 2017 के अपने टैरिफ आदेश में प्रासमिक आधार पर 791 (सेवान्त लाभ सम्मिलित नही) करोड़ रू. के प.एवं.सं. अनुमोदित किये थे। माननीय आयोग द्वारा यह लागत ऊर्जा विक्रय पर आधारित व्युत्पन्न की गयी थी।

1.35 अंकेक्षित लेखों के अनुसार याचिकाकर्ता के प.एवं.सं. व्यय वर्ष 2016–17 के लिए 760.87 (सेवान्त लाभ सम्मिलित नही) करोड़ रू. है।

1.36 सेवानिवृत्ति परिलाभ और ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति पर अवकाश का नकद भुगतान और दूसरे लाभ रूपये 551.96 करोड़ रूपये हुये है, जो कि सेवान्त लाभ के मद में हैं। निगम की नई लेखा नीति के अनुसार निगम ने सेवानिवृत्ति के परिलाभों को पूंजीकृत करना प्रारम्भ कर दिया है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016–17 में 95.62 करोड़ रूपये पूंजीकृत किया है। पूंजीकृत करने के पश्चात् वर्ष 2016–17 के लिये सेवान्त परिलाभ 456.34 करोड़ रूपये हैं। यह भी निवेदन है कि चूंकि सेवानिवृत्ति परिलाभ और ग्रेच्युटी की जिम्मेदारी निगम के नियंत्रण में नहीं है, याचिकाकर्ता आयोग से इसको पास थ्रू करने का निवेदन करता है।

1.37 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि सामान्य एवं प्रशासनिकीय खर्चो में वृद्धि सुरक्षा सेवा शुल्क, वाहन संचालन व बिलिंग इत्यादि के कारण है जो कि वर्ष 2016–17 के लिए 65.00 करोड रूप्ये है।

1.38 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि मरम्मत एवं संधारण खर्चे माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित 172 करोड रूप्ये की तुलना में 111.23 करोड रूपये हुये है।

1.39 याचिकाकर्ता माननीय आयेाग से वर्ष 2016–17 के पवस व्यय अनुमोदित करने की प्रार्थना करता है।

1.40 याचिकाकर्ता के अंकेक्षित लेखों के अनुसार पवस व्यय निम्नानुसार है–

सारणी 6: विव 2016–17 के लिए कर्मचारी, म.एवंसं. तथा प्र.एवं.सा. लागत (करोड़ रू. में)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक	विचलन
कर्मचारी लागत	815.00	629.92	185.08
सेवान्त लाभ	700.00	551.96	148.04
प्रशासकीय एंव सामान्य लागत (बीमा व्यय सहित)	86.00	151.21	(65.21)
मरम्मत एवं संधारण लागत	172.00	111.23	60.77
घटायें – पूंजीकृत किये जाने वाले व्यय	282.00	227.10	54.90
सकल प.एवं.सं.	**1491.00**	**1,217.22**	**273.78**

कर्मचारी व्यय

1.41 याचिकाकर्ता के कर्मचारी व्ययों में वेतन, मजदूरी, भत्ते, अनुग्रह भुगतान, स्टॉफ कल्याणकारी व्यय, सेवान्त लाभ, आदि निहित हैं।

1.42 चूँकि सेवान्त लाभ व ग्रेच्युटी के खर्चे याचिकाकर्ता के नियन्त्रण में नहीं है इसलिए याचिकाकर्ता आयेाग से इन खर्चो को पास थ्रू करने का निवेदन करता है।

1.43 अनुपयोगी अवकाश के खर्चे का दायित्व, 31.03.2017 की लाभ योजना के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है जिसको कि खर्चा माना गया है। इसके कारण यह कर्मचारी व्यय में अतिरिक्त खर्चा जुड़ा है, जिसको कि प्राशमिक रूप से अनुमोदित कर्मचारी व्यय में सम्मिलित नहीं किया गया है।

1.44 उपरोक्त दोनों दायित्वों की परिणिती अतिरिक्त व्यय के रूप में हुई है जो कि

पूर्ण रूप से याचिकाकर्ता के नियन्त्रण से बाहर है।

1.45 कर्मचारियों के वास्तविक खर्चे अंकेक्षित लेखों के अनुसार निम्नानुसार है–

सारणी 7: कर्मचारी व्यय (करोड़ रू.)

क्र.स.	विशिष्टियां	2016–17
अ.	**वेतन, मजदूरी, भत्ते व बोनस आदि**	
1	वेतन	250.70
2	समयोपरि	1.22
3	महगाई भत्ता	299.98
4	अन्य भत्ते	34.23
5	महंगाई वेतन	0.09
6	अनुग्रह भुगतान तथा बोनस	12.00
7	मानदेय	0.00
8	अर्जित अवकाश नकदीकरण	18.81
9	शिक्षण शुल्क पुनर्भुगतान	-
10	प्रोत्साहन राशि	0.01
11	डीएलआई – मण्डल अंशदान	1.56
12	ईएसआई – मण्डल अंशदान	0.32
13	पुनर्विधुत सम्बन्ध पर प्रोत्साहन	0.14
14	अन्तरिम राहत	0.00
15	निगम द्वारा समूह बीमा योजनान्तर्गत भुगतान	0.75
16	वाहन व्यय	0.06
17	चिकित्सा व्यय पुनर्भरण	2.62
18	प्रशिक्षण व्यय	0.18
19	गणवेश व वर्दी व्यय	2.23
20	साबुन व डस्टर	0.32
21	सुरक्षा साधन	1.32

22	अन्य कल्याणकारी व्यय	0.83
23	वार्षिक वृति लाभ	0.01
24	डीएलआई – प्रशासकीय प्रभार	0.33
25	मेडी–क्लेम पॉलिसी प्रीमियम	0.66
26	भुगतान नही किए गये वेतन पर बयाज	-
27	कर्मचारी क्षतिपूर्ती अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान	1.55
28	समग्र कर्मचारी भुगतान	629.92
29	घटायेः–(कैपिटलायज्ड खर्चे)	109.12
30	नेट कर्मचारी खर्चें	**520.80**
ब.	**सेवान्त लाभ**	
1	सेवान्त लाभ (पीएफ को सम्मिलित करते हुए)	39.71
2	मण्डल अंशदान	452.49
3	सेवानिवृति पर उपार्जित अवकाश	59.76
4	ग्रेच्युएटी फंड	-
5	नई पेंशन के अन्तर्गत मण्डल अंशदान	-
	कुल योगः–	**551.96**
	घटायेः–(कैपिटलायज्ड खर्चे)	95.62
	नेट सेवान्त लाभ	**456.34**
	सकल योगः–	**977.14**

1.46 याचिकाकर्ता माननीय आयोग से वास्तविक कर्मचारी व्यय 977.14 करोड रूपयों को अनुमोदित करने का निवेदन करता है।

प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय–

1.47 वास्तविक सामान्य प्रशासनिक खर्चों और नोरमेटिव खर्चों की तुलना निम्नानुसार है–

सारणी 8: प्रशा. एवं सामा. व्यय (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक

सकल प्रशा.एवं.सा. व्यय	86.00	151.21

1.48 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि सुरक्षा सेवा प्रभार, वाहन संचालन प्रभार, बिलिंग व्यय के कारण है जो कि 64.78 करोड रूपये है।

1.49 यह मानते हुये कि ये व्यय एक प्रतिष्ठान को चलाने के लिए उपगत किये जाते हैं, जिन्हें पूर्णतया विक्रय पर प्रासमिक व्ययों के आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है। याचिकाकर्ता माननीय आयोग से सत्यापन याचिका में प्रशा. एवं सामा. व्यय की वास्तविक लागत को अनुमोदित करने का अनुरोध करती है।

1.50 विव 2016–17 में याचिकाकर्ता ने 128.85 करोड़ रू. (पूंजीकरण का निवल) का व्यय प्रशासकीय एवं सामान्य व्ययों के प्रति किया था, इसलिए माननीय आयोग से उसे अनुमोदित करने का निवेदन करता है।

सारणी 9: प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय (करोड़ रू.)

क्र.स.	विशिष्टियां	विव 2016–17
1	किराया	3.24
2	दर एवं कर	0.87
3	संयन्त्रों व मशीनों की अनुज्ञप्ति व पंजीकरण शुल्क	-
4	सुरक्षा सेवा प्रभार	18.79
5	टेलीफोन, टेलेक्स, इपीएबीएक्स व्यय	4.25
6	डाक व तार	0.68
7	विधिक प्रभार, तकनीकी शुल्क	1.47
8	अंकेक्षकों को भुगतान	0.05
9	स्वेानिवृति के पश्चात् कर्मचारियों पर व्यय	4.50
10	लोस डायनेस्टिक स्टडी पर भुगतान	-
12	राजस्व अंकेक्षण का व्यय	-
13	कन्सलटेन्सी प्रभार	2.89
14	व्यायवासिक प्रभार	6.65
15	बिजली प्रतिनिधि पर व्यय	-
16	वाहन किराया	4.61

17	यात्रा भता	3.74
18	वाहन चालन व्यय	20.93
19	उपभौक्ता जागरूकता व्यय	8.17
20	प्रशासकीय **विद्युत** व्यय	5.05
21	विविध खर्चे	7.31
22	**आई ई एक्स के माध्यम से विद्युत विक्रय पर व्यय**	-
23	**पीएक्सआईएल के माध्यम से विद्युत विक्रय पर व्यय**	-
24	**प्रिटींग और स्टेशनरी**	1.92
25	**डेक्ट्रेटल प्रभार**	6.92
26	**कम्प्यूटर सेवा का किराया**	3.56
27	**बिल कलेक्शन प्रभार**	6.55
28	**एचटी रीडिंग पर व्यय**	3.76
29	**बिलिंग पर व्यय**	25.06
30	**विद्युत बिल वितरण प्रभार**	2.35
31	**भाडा एवं सामग्री सम्बन्धित व्यय**	7.89
	कुल योगः–	**151.21**
	घटायेः– केपिटलाज्ड खर्चे	22.36
	नेट सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चे	**128.85**

बीमा खर्चे

1.51 अनुमोदित एवं संशोधित बीमा खर्चों की तुलना नीचे दी गई है।

सारणी 10: विव 2016–17 के लिए बीमा खर्चे (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
बीमा खर्चे	23.00	1.06

मरम्मत एवं संधारण व्यय

1.52 वास्तविक मरम्मत एवं संधारण व्यय बनाम संशोधित प्रासमिक मरम्मत एवं संधारण व्ययों की तुलना नीचे दी गयी है –

सारणी 11: मरम्मत एवं संधारण व्यय (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
सकल म.एवं.सं. व्यय	172.00	111.23

1.53 याचिकाकर्ता ने विव 2016–17 में इसकी अवसंरचना के मरम्मत एवं संधारण के प्रति 111.23 करोड़ रू. का व्यय उपगत किया है। मुख्य व्यय जविविनिलि के संयन्त्र तथा मशीनरी, लाइन तथा केबिल नेटवर्क की मरम्मत के अन्तर्गत पुस्तबद्ध किया गया है।

सारणी 12: मरम्मत एवं संघारण व्यय (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 2016–17
संयन्त्र व मशीनरी	26.71
भवन	11.09
सिविल कार्य	-
लाइनें तथा केबिल नेटवर्क	72.28
वाहन	0.39
फर्नीचर व उपस्कर	0.03
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	0.74
योग	**111.23**

ब्याज तथा वित्त प्रभार

1.54 आयोग ने 732 करोड़ रू. विव 2016–17 के लिए ब्याज तथा वित्त प्रभार के रूप में अनुज्ञात किया है। अनुमोदित की तुलना में याचिकाकर्ता द्वारा उपगत वास्तविक व्यय 1,627.65 करोड़ रू. (पूंजीकरण का निवल) है।

1.55 यह उल्लेखनीय होगा कि आयोग ने अनिबद्ध राजस्व अंतर का ब्याज 1334 करोड़ रूपये अनुमोदित किया है। अनिबद्ध राजस्व अंतर को पूरा करने के लिये ऋण लिये जाते हैं इसलिये अनिबद्ध राजस्व अंतर का ब्याज निगम के ब्याज एवं वित्त प्रभार में परिलक्षित हुआ है। यह दीर्घावधि और लघु अवधि के ऋणों में सम्मिलित किया गया

है।

1.56 डिस्कॉम द्वारा भिन्न – भिन्न प्रकार की उधारियों पर उपगत ब्याज तथा वित्त व्यय की तुलना में माननीय आयोग द्वारा अनुज्ञात की विस्तृतियां नीचे सारणी में दी गयी हैं –

सारणी 13: ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज	578.00	352.88
अल्पकालीन उधारियों/कार्यशील पूंजी पर ब्याज	112.00	757.73
अन्य ब्याज		452.01
प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	83.00	69.55
वित्त प्रभार तथा पट्टा किराया	98.00	83.67
घटायें – पूंजीकृत ब्याज तथा वित्त	139.00	88.18
अनिधिबद्ध अन्तर पर ब्याज दायित्व	1,334	दीर्घावधि और क्रियाशील पूंजी के ब्याज में परिलक्षित
योग	**2,066.00**	**1,627.65**

1.57 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए जयपुर डिस्कॉम माननीय आयोग से वास्तविक ब्याज एव वितिय प्रभार 1,627.65 करोड रूपये को अनुमोदित करने का निवेदन करता है।

ह्रास

1.58 आयोग ने विव 2016–17 के लिए 758.03 करोड़ रू. के वास्तविक ह्रास के प्रति विव 2016–17 के लिए 622 करोड़ रू. ह्रास के रूप में अनुज्ञात किया था। नीचे सारणी प्रारम्भिक सकल स्थाई परिसम्पतियों, अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पतियों तथा ह्रास की अनुमोदित तथा अंकेक्षित राशियों का तुलनात्मक सारांश दर्शाती है –

सारणी 14: विव 2016–17 के लिए ह्रास (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
प्रारम्भिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां	11,753.00	14,461.83

अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पत्तियां	13,445.00	16,005.56
ह्रास	**622.00**	**758.03**

1.59 वर्ष 2007–08 से ह्रास की गणना फोरम ऑफ रेगुलेटर की अधिसूचना दिनांक 23.6. 2006 के अनुसार की गई है जो कि ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 6.1.2006 की टेरिफ पॉलिसी की पालना में जारी की गई है। तदनानुसार ह्रास को लेखों में अधिसूचना के अनुसार प्रभारित किया गया है।

1.60 पिछले अभ्यास के अनुसार विव 2006–07 तक मूल्य ह्रास वर्ष के शुरूआत में अस्तित्व में संपति पर वार्षिक आधार पर लगाया गया है। विव 2007–08 याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष के प्रारंभ में अस्तित्व में रही परिसम्पतियों पर ह्रास वार्षिक आधार + वर्ष के दौरान परिवर्धित/कम की गई परिसंपतियों के लिए ह्रास का प्रावधान मानते हुए किया गया है कि यह त्रिमास की संपति के तुरंत पहले उपयोग में लाई गई थी। (ह्रास का लेखा उपचार)। असल में विव 2014–15 से मूल्य ह्रास का प्रावधान आरईआरसी टैरिफ अधिनियम 2014 के अनुसार अपनाया गया है और संपति के जीवन की पुनः गणना 31.03.2014 तक की गई है।

1.61 याचिकाकर्ता माननीय आयोग से इस ट्रयू–अप में विव 2016–17 के लिए 758.03 करोड रूपयो ह्रास (अंकेक्षित लेखो के अनुसार) के अनुरूप में अनुज्ञात करने का निवेदन करता है।

अन्य डेबिट, उपभोक्ताओं को दी गई छूट तथा पूर्वावधि

1.62 विव 2016–17 के वास्तविक अंकेक्षित लेखों के आधार पर डिस्कॉम, माननीय आयोग से विव 2016–17 में अन्य डेबिट के लिए 502.04 करोड़ रू. अनुज्ञात करने का निवेदन करती है। यह निवेदन है कि ''अन्य डेबिटों'' के मद के अंतर्गत इस के साथ ही अन्य मदों की प्रकृति यूटिलीटि के नियंत्रण से बाहर है, इसलिए आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाना चाहिए।

1.63 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि याचिकाकर्ता ने नये उद्योग, विशिष्ट वोल्टेज पर विद्युत लेने और विलम्ब से भुगतान करने के प्रभार में छूट दी है। यह छूट 232.78

करोड़ रूपये है। इसकी विस्तृतियां नीचे सारणी में दी गई है।

1.64 उपरोक्त के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता नें उदय योजना में राज्य सरकार से 3135.57 करोड़ रूपये अनुदान प्राप्त किया है। राज्य सरकार के वित्तीय पुनर्संरचना योजना 2005 की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए जिस पर कि 26.10.2009 के एम.ओ.यू. के द्वारा पुनः जोर दिया गया था, वर्ष 2008–09 तक के राजस्व अंतर 4410.43 करोड़ रूपये को राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान दिखाया गया है। लेकिन राज्य सरकार की केबिनेट मीटिंग दिनांक 19.10.2011 जिसको कि वित्तीय पुनर्संरचना योजना 2013 में भी अनुमोदित किया गया था, 1543 करोड़ रूपये 2022 तक अनबिद्ध रहेंगे, को उलट दिया गया और इसको वर्ष 2011–12 मे हानि के रूप में दिखाया गया। बकाया 2867. 43 करोड़ रूपये की राशि को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के रूप में दिखाया गया जिसके विरूद्ध 978.17 करोड़ रूपये राज्य सरकार ने मार्च 2016 तक 978.17 करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया है। लेकिन निगमों में उदय योजना के क्रियान्वन के पश्चात् ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 23.12.2016 के द्वारा सूचित किया कि वित्तीय विभाग, राज्य सरकार ने एम.ओ.यू. दिनांक 26.10.2009 के अनुसार बकाया राशि के प्रति किसी भी प्रकार की सहायिकी को देने से इंकार कर दिया है। इसलिए निगम ने बकाया राशि 1889.26 करोड़ रूपयों को चालू वित्त वर्ष में रिटिन ऑफ कर दिया है और विर्ष 2016–17 की लाभ और हानि विवरणी में असाधारण बिन्दु के रूप में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 13.06.2016 के द्वारा वर्ष 2009–10 से लेकर 2011–12 तक के न्यूनतम प्रभार का भुगतान करने से इंकार कर दिया है और इसीलिये 125.05 करोड़ रूपये के न्यूनतम प्रभार जो कि राज्य सरकार से प्राप्त होने योग्य दिखाये गये थे को चालू वित्त वर्ष में रिटिन ऑफ कर दिया है इसलिए उदय योजना के अन्तर्गत 1121.26 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है।

1.65 याचिकाकर्ता माननीय आयोग से इस पर उचित विचार करने का निवेदन करता

है।

सारणी 15: विव 2016–17 के दौरान अन्य डेबिट तथा उपभोक्ताओं को दी गई छूट (करोड़ रू.)

क्र.स.	विशिष्टियां	विव 2016–17
अ	**अन्य डेबिट**	
1	कर्मचारियों की चोट या मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति	0.70
2	बाहरी व्यक्ति की चोट या मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति	5.46
3	बेकार पडे स्टोर के कारण हानि	0.38
4	इन्वेन्टरी के मूल्यांकन के कारण हानि	65.02
5	परिवर्तन दर में बदलाव के कारण हानि	-
6	रद्दी माल की बिक्री के कारण हानि	64.40
7	अचल संपत्तियों की चोरी की वजह से नुकसान	7.33
8	अपलिखित आस्थगित राजस्व व्यय	0.41
9	डूबत तथा संदिग्ध कर्ज प्रावधान	358.35
	योग	**502.04**
ब	**उपभोक्ताओं को दी गई छूट**	
1	वोल्टेज,ब्लॉक सप्लाई फ्लेट रेट, खराब मीटर, तुरन्त भुगतान	187.99
2	पीएसएल को टाईमर उपलब्ध करवाने पर दी गई छुट	0.08
3	डीपीएस/एलपीएस की छुट	44.72
4	योग–	**232.78**
स	पूर्व अवधि व्यय	
1	पूर्व अवधि व्यय	30.02
2	विशिष्ट (उदय योजना और वि.पु.सं. के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान)	(1,121.26)
	योग	**(1091.24)**
	सकल योग	**(356.41)**

विव 2016–17 के लिए वाराआ का सारांश

1.66 नीचे सारणी दिनांक 2 नवम्बर 2017 के टैरिफ आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित वाराआ की तुलना में याचिकाकर्ता द्वारा वास्तव में उपगत वाराआ का सारांश दर्शाती है:–

सारणी 16: विव 2016–17 के लिए वाराआ (करोड़ रू.)

व्यय	अनुमोदित	वास्तविक

विद्युत क्रय लागत(प्रसारण व्यय शामिल)	11,497.00	11,829.00
परिचालन एवं संधारण व्यय (बीमा खर्चे सहित)	814.00	761.93
सेवांत लाभ	700.00	456.34
ब्याज तथा वित्त प्रभार	621.00	869.92
अनिधिबद्ध अन्तर पर ब्याज	1,334.00	दीर्घावधि ऋणों और क्रियाशील पूंजी के ब्याज में परिलक्षित
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	112.00	757.73
ह्रास	622.00	758.03
अन्य व्यय		(356.41)
कुल वाराआ	**15,700.00**	**15,076.53**

गैर– टैरिफ व अन्य आय

1.67 गैर टेरिफ आय उपभोक्तओं के अतिरिक्त अन्य से प्राप्त की गई आय है। जैसे की डी. पी.एस. , स्थाई जमा, बेकार माल की बिक्री और स्थाई सम्पतियों से आय। अन्य आय में मीटर किराया , विविध प्रभार और आर.वी.पी.एन. व आर.वी.यु.एन. के ट्रयू–अप आदेशों के अन्तर्गत पुनः प्राप्ति ।

1.68 याचिकाकर्ता ने गैर टेरिफ आय में विव 2016–17 के दौरान 501.07 करोड़ रू. प्राप्त किये हैं। अन्य आय 222.82 करोड रू. है। मानयीय आयोग से गैर टैरिफ आय व अन्य आय को अनुमोदित करने का निवेदन है। विस्तृतियां निम्नानुसार हैं –

सारणी 17: गैर टैरिफ आय (करोड़ रू.)

गैर टैरिफ आय	अनुमोदित	वास्तविक
स्थाई संपति के बेचान से आय	459.00	2.33
स्टॉफ को ऋण व अग्रिमों पर ब्याज		0.00
आपूर्तिकारों से ब्याज		0.37
बैंक में स्थाई जमा से आय		1.07
स्थाई जमा के अतिरिक्त आय		-
स्टॉफ क्वार्टरों से किराया		0.12
पंजीकरण शुल्क		0.06

टेण्डर प्रपत्रों का विक्रय		1.02
रद्दीमाल का विक्रय		5.35
जांच शुल्क से आय		2.03
अन्य विविध प्राप्तियों		64.07
एक्सचेंज दर में अन्तर के कारण प्राप्ति		0.05
ग्रेच्युटी के भुगतान के प्रावधानों से प्राप्ति		12.18
सरकार से स्थगित अनुदान द्वारा प्राप्त आय		159.56
भुगतानों पर छूट		20.44
विलम्ब से भुगतान प्रभार		232.41
योग		**501.07**
अन्य आय		
विद्युत चोरी से प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत		62.13
मीटर किराया/सर्विस लाईन किराया (सी.टी.पी.टी. किराया)		12.23
उपभोक्तओ से प्राप्त विविध राशि		36.46
विद्युत प्रसारण कंपनी से प्राप्त ट्रयू–अप जमा		112.00
विद्युत उत्पादन कंपनी से प्राप्त ट्रयू–अप जमा		-
योग		**222.82**
सकल योग	**459.00**	**723.89**

1.69 याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में गैर टैरिफ आय को अनुमोदित करने के लिए डीपीएस की मूल राशि के फण्डिंग के लिए ब्याज को अनुमोदित करने का निवेदन किया है।

1.70 तदनुसार याचिकाकर्ता निवदेन करता है कि अंकेक्षित लेखों के अनुसार वर्ष 2016–17 की गैर टैरिफ आय 723.89 करोड़ रूपये है जिसमें कि 232.41 करोड़ रूपये उपभोक्ताओं से प्राप्त डीपीएस के सम्मिलित है। चूंकि याचिकाकर्ता डीपीएस 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की (2 प्रतिशत प्रति माह) दर से प्रभारित करता है इसलिए मूलधन 968.40 करोड़ रूपये बनता है जिस पर कि डीपीएस प्रभारित किया गया है। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 02.11.2017 में रा.वि.नि.आ. (टैरिफ के विद्युत

विनिश्चन की शर्तें एवं निबन्धन) के अनुसार क्रियाशील पूंजी के ब्याज की गणना के लिये 12.26 प्रतिशत प्रासमिक ब्याज दर अनुमोदित की है। इस दर को ध्यान में रखते हुए डीपीएस के वित्तीय मूल्य की गणना की गई है, जो कि नीचे सारणी में सारांशित है :–?

सारणी 18 : डीपीएस की मूल राशि के फण्डिंग का ब्याज

डीपीएस की मूल राशि का फण्डिंग का ब्याज	वित्तीय वर्ष 2016–17
डीपीएस	232.41
मूल राशि जिस पर डीपीएस प्रभारित किया गया है (2 प्रतिशत प्रति माह की दर से)	968.40
डीपीएस की मूल राशि के फण्डिंग के लिए ब्याज दर	12.26 प्रतिशत
डीपीएस की मूल राशि के फण्डिंग पर ब्याज	**118.73**

1.71 तदनुसार गैर टैरिफ आय में उक्त वित्तीय मूल्य को उचित रूप से समायोजित कर कम करने का निवेदन है।

1.72 यहां यह उल्लेखनीय होगा कि डीपीएस का वित्तीय मूल्य माननीय एपटेल के निर्णय दिनांक 12.07.2011 (2009 का प्रकरण संख्या 142 एवं 142) के अनुसार है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य आयोगों ने लगातार एन.टी.आई. में डीपीएस के विरूद्ध प्राप्तियों के मूल्य पर विचार किया है। उदाहरण के लिये बिहार के विद्युत नियामक आयोग ने अपने टैरिफ आदेश दिनांक 24 मार्च 2017 में किसी तरह की एन.टी.आई. में दर्ज डीपीएस के विरूद्ध प्राप्तियों के मूल्य पर विचार किया है और डीपीएस का वित्तीय मूल्य क्रियाशील पूंजी के लिए अनुमत ब्याज दर के अनुसार विचार किया है। याचिकाकर्ता माननीय आयोग से इस सम्बन्ध में उचित विचार करने का निवेदन करता है।

ऊर्जा विक्रय से **राजस्व़**

1.73 माननीय आयोग ने वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफ आदेश से 12,664 करोड रूप्ये अनुमोदित किये है। अकेंक्षित लेखों के अनुसार वास्तवितक राजस्व 12,942.86 करोड रूप्ये है।

1.74 जैंसा की पिछले अनुभागों में उल्लेखित किया गया हैं कि माननीय आयोंग ने 2016–17 ए.आर.आर. अनुमोदित करते समय ट्रेडिंग से अधिक राजस्व को विचारार्थ रखा हैं और तदानुसार विद्युत की खरीद को कम किया है। लेकिन बाजार में विद्युत

दरें क्रेता द्वारा प्रस्तुत बिड और समपुर्ण बाजार उपलब्ध उर्जा पर निर्भर करती हैं । इसलिए याचिका कर्ता ट्रेडिंग से प्राप्त वास्तविक राजस्व पर ही विचार करने का निवेदन करता हैं।

1.75 अनुमोदित और वास्तविक राजस्व का सांराश नीचे सारणी में दिया गया हैं

सारणी 19: विव 2016–17 के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक राजस्व (करोड़ रू.)

राजस्व	अनुमोदित	वास्तविक
विद्युत के विक्रय से राजस्व	12,664.00	12,942.86
गैर– टैरिफ / अन्य टैरिफ आय	317.00	723.89
ट्रेडिंग गतिविधि से आय	843.00	31.89
व्हीलिंग प्रभारों से आय	142.00	231.94
कुल राजस्व	**13,966.00**	**13,930.58**

विव 2016–17 के लिए राजस्व धाटा

1.76 विव 2016–17 के लिए वास्तविक वाराआ तथा राजस्व प्रापण पर आधारित, वास्तविक राजस्व अन्तर, आयोग द्वारा अनुमोदित 1226.53 करोड़ रू. के प्रति 615.76 करोड़ रू. है। अनुमोदित तथा वास्तविक राजस्व धाटा नीचे सारणी में सारांशित है :–

सारणी 20: विव 2016–17 के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक राजस्व धाटा

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
समग्र राजस्व आवश्यकता (अ)	15,700	15,076.53
कुल राजस्व (गैर टैरिफ आय, एक्चेज के द्वारा विक्रय व अन्य आय) (ब)	13,966.00	13,930.58
राजस्व अन्तर (स)	**1,734.53**	**1,145.95**
राजस्व सहायिकी/वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान		
विश्व बैंक से ऋण पर अन्तरीय ब्याज संसहायिकी	0.00	0.00
विद्युत शुल्क के प्रति राज्य सरकार से संसहायिकी	583.00	530.20

सरकार से नकद सहायता	0	0.00
अन्य सहायिकी	0	0.00
योग (द)	**583.00**	**530.20**
निवल राजस्व गेप (स–द)	**1,151.53**	**615.76**
जोडें – राविउनिलि को पिछले वर्षों **(2013 –14, 2014–15, 2015 –16)** के आधार पर **दी** जाने वाली लागत	74.5	0
जोडें – उपभोक्ता शिक्षा	0.5	सा.एवं प्र. खर्चों में सम्मिलित
निवल राजस्व गेप	**1226.53**	**615.76**

1.77 जैसा कि उपरोक्त से सिद्ध होता है, विव 2016–17 मे राजस्व आवश्यकता में वास्तविक अन्तर, आयोग द्वारा विव 2016–17 के लिए, इसके वाराआ आदेश में अनुज्ञात 1226.53 करोड़ रू. से कम 615.76 करोड़ रू. है।

1.78 यह प्रार्थना है कि आगामी वर्ष के लिए टैरिफ का विनिर्धारण करते समय आयोग विव 2016–17 के वास्तविक राजस्व अन्तर पर विचार करे।

विव 2016–17 के लिए विचलन विश्लेषण

1.79 नीचे दी गई सारणी, आय तथा व्यय के प्रत्येक तत्व के बारे में विचलन विश्लेषण दर्शाती है –

सारणी 21: विचलन विश्लेषण (करोड़ रू.)

क्र. स.	विशिष्टिया	अनुमोदित (अ)	वास्तविक (अ)	विचलन (स=अ- ब)	विचलन के कारण	नियंत्रणीय / अनियंत्रणीय
	1. राजस्व					
	विद्युत का विक्रय	12,664	12,942.86	-278.86	वास्तविक के अनुसार। वास्तविक विद्युत विक्रय अनुमोदित से अधिक होने के कारण।	अनियंत्रणीय
	व्हीलिग व क्रास सबसिडी प्रभार	142.00	231.94	-89.94	वास्तविक के अनुसार	अनियंत्रणीय
	गैर– टैरिफ आय / अन्य टैरिफ आय	317	723.89	-406.89	वास्तविक के अनुसार। अन्य टैरिफ आय, उपभोक्ता से प्राप्तियॉ, मीटर किराया और आर.वी.पी.एन के टुअप के आदेशों के अन्तर्गत प्राप्त राशि भी सम्मलित ।	अनियंत्रणीय
	ट्रेडिंग से आय	843	31.89	811.11	अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार	अनियंत्रणीय
	कुल राजस्व (अ)	13,966.00	13,930.58	35.42		
	2. व्यय					
	विद्युत क्रय	11,497.00	11,829.00	-332.00	अनुमोदित प्रति यूनिट खर्चा अनुमोदित से अधिक होने के कारण। वितरण हानियां अनुमोदित से	अनियंत्रणीय

					अधिक होने के कारण क्रय की गई ऊर्जा अनुमोदित से अधिक थी।	
	परिचालन एवं संधारण व्यय बीमा खर्चे शामिल करते हुए	1491.00	1,217.21	273.79	प.एवं.सं. व्यय वा.रा.आ. आदेश में अनुमोदित से कम होने के कारण।	अनियंत्रणीय
	ब्याज तथा वित्त प्रभार	2,067.00	1,627.65	439.43	लघु अवधि के ऋणों का ब्याज अनुमोदित क्रियाशील पूंजी के ब्याज से अधिक होने के बावजूद कुल ब्याज का खर्चा वार्षिक राजस्व आवश्यकता में अनुमोदित से कम होने के कारण।	अनियंत्रणीय
	ह्रास	622.00	758.03	-136.03	लेखों की पुस्तिका में कुल स्थाई परिसम्पत्तियों की ओपनिंग और क्लोजिंग के अनुसार ह्रास की गणना की गई है।	अनियंत्रणीय
	अन्य व्यय		(356.41)	356.41	वार्षिक अंकेक्षित लेखों के अनुसार	अनियंत्रणीय
	समग्र राजस्व आवश्यकता (सराआ) (ब)	**15,700.08**	**15,076.53**	**623.55**		
	अन्तर / (अधिशेष) (ब–अ) = स	**1,734.53**	**1,145.95**	**588.58**		
	घटायें – राजस्व सहायिकी					

	विश्व बैक ऋणों पर ब्याज अन्तर की राज्य सरकार से सहायिकी		0.00	0.00	अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार	प्रयोज्य नहीं
	विद्युत शुल्क के प्रति संसहायिकी	583.00	530.20	52.80	अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार	प्रयोज्य नहीं
	राज्य सरकार से नकद सहायता		0.00	0.00	अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार	
	ब्याज के लिए सहायिकी		0.00	0.00	अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार	
	कुल राजस्व सहायिकी – द	**583.00**	**530.20**	**52.80**	अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार	प्रयोज्य नहीं
	निवल राजस्व अन्तर (स–द)	1,151.53	615.76	535.78		
	जोडें – राविउनिलि को पिछले वर्षों **(2013 –14, 2014–15, 2015 –16)** के आधार पर **दी** जाने वाली लागत	74.5	0	74.5		
	जोडें – उपभोक्ता शिक्षा	0.5	**प्र** एवं **सा** व्यय में शामिल			
	निवल राजस्व गेप	1226.53	615.76	610.78		

1.80 उपरोक्त के आधार पर याचिकाकर्ता आयोग से, याचिकाकर्ता के वास्तविक निष्पादन पर, विव 2016–17 के व्यय तथा राजस्व के ट्रयूअप तथा वर्ष 2016–17 के लिए 615.76 करोड़ रू. के राजस्व अन्तर को अनुमोदित करने की प्रार्थना करता है।

अ 2: प्रार्थना

2.1 जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. आयोग से निवेदन करता है कि –

- उपरोक्त के आधार पर याचिकाकर्ता आयोग से, याचिकाकर्ता के वास्तविक निष्पादन पर विव 2016–17 के व्यय तथा राजस्व के ट्रयूअप तथा वर्ष 2016–17 के लिए 615.76 करोड़ रू. के राजस्व अन्तर के अनुमोदन की, सादर प्रार्थना करता है।
- तथा ऐसे अन्य व अग्रेतर आदेश, जो प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में उचित व उपयुक्त लगे, पारित करे।